Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में मारपीट करने वाले आरोपी प्रिंस को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 11 माह का कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2018 में अभियुक्त प्रिंस पुत्र महक सिंह निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा नाबालिग के साथ मारपीट करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 264/2018 धारा 323/354ख/504/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 16.10.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त प्रिंस को धारा 323 भादवि में दोषी पाते हुए 11 माह का कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रिंस को धारा 354ख/504/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा   दिनाँक 16/10/2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 358/25 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस व 66D IT ACT में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 44500 रुपये बरामद।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 13.10.2025 को थाना खेकड़ा पर वादी अंशुल कुमार पुत्र सुरेशपाल निवासी हर्ष विहार दिल्ली ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी गाडी में बैठकर उसका हालचाल पूछते हुए उसकी गाडी में से उसके बीमार होने के कारण अचेत अवस्था का फायदा उठाकर उसका मोबाइल फोन सैमसंग व गले में से एक सोने की चैन तथा गाडी में रखे 9,000 रूपये चोरी कर लिया गया व उसके फोन के माध्यम से धोखाधड़ी से उसके खाते में 03 लाख 10 हजार रूपये निकाल लिए गए। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 358/25 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस व 66D IT Act पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 358/25 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस व 66D IT Act में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 44500 रुपये बरामद हुए है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त मुकदमें में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1-शेखर पुत्र सतवीर निवासी ग्राम पंचलोक थाना ट्रोनिका सिटी जिला गाजियाबाद।

2-शिवम पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम पंचलोक थाना ट्रोनिका सिटी जिला गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरणः-

- 24500 रुपये। (शेखर से बरामद)
- 20000 रुपये। (शिवम से बरामद)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद्र थाना साइबर सैल जनपद बागपत।
2-निरी0 ओमप्रकाश आर्य थाना खेकडा जनपद बागपत।
3-उप निरीक्षक उपदेश शर्मा थाना साइबर सैल जनपद बागपत।
4-उप निरीक्षक अमरदीप थाना साइबर सैल जनपद बागपत।
5-उप निरीक्षक दिग्विजय थाना साइबर सैल जनपद बागपत।
6-है0कां0 रवि यादव थाना साइबर सैल जनपद बागपत।
7-कां0 अंकुल थाना साइबर सैल जनपद बागपत।
8-कां0 शंकर बघेल थाना साइबर सैल जनपद बागपत।
9-कां0 प्रभात यादव थाना साइबर सैल जनपद बागपत।
10-है0का0 815 शोकेन्द्र नागर थाना खेकडा जनपद बागपत।
11-का0 164 नितिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली **दिनाँक- 16.10.2025**

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 252/25 धारा 80(2)/85/352 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.10.2025 को थाना छपरौली पर वादी दीपक पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम शम्भालखा थाना शामली जनपद शामली ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-पति अशोक, 2-जेठ रोशन लाल पुत्रगण महावीर सिंह निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, गलौज करते हुए मारपीट की गयी, जिससे उसकी बहन की मृत्यु हो गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 252/25 धारा 80(2)/85/352 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 252/25 धारा 80(2)/85/352 BNS व 3/4 दहेज एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

अशोक पुत्र महावीर निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1-उ0नि0 श्री अमित गोला थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।

3-का0 597 प्रेमपाल थाना छपरौली जनपद बागपत।

4-का0 411 पीयूष त्यागी थाना छपरौली जनपद बागपत।